

फर्द अहकाम

उत्तमपुत्र बनाम सहस्रपुत्र अश्विनी कर्ष
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ५५ / 2025


दावा
आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही


29/5/26

पञ्जावली पेक्षा हुई वकील उममपदा उपस्थित
वकील परिवाही द्वारा जवाब दावा पेक्षा किया
नकुल दिखवाई गयी। वकील उममपदा द्वारा
दावे पर बहस की गयी। वकील उममपदा
की बहस सुनी गयी। वक्ति उचित आडिक्
हेतु पञ्जावली दिनांक 6/5/26 को पेक्षा हो।


उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

6/5/26

पञ्जावली पेक्षा हुई वकील उममपदा उपस्थित
वकील उममपदा की बहस पर मनन किया
गया। पञ्जावली का अवलोकन किया गया।
अवलोकन उपरान्त वकील वडी का दावा
दिही किया जाना उचित समझते हैं। वरत
वकील वडी का दावा दिही किया जाता है।
फैसला अलग से लिखवाया जाकर सुनाया
गया। फैसला शामिल पञ्जावली रहे पञ्जावली
फैसला सुनार लेकर वाकिल दाखल हो।


उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.